[16/3/2023] "परिशिष्ट - एक"

प्रश्न सं. [क्र. 2536]

कार्यालय मुख्य अभियंता
बोधी, जल संसाधन विभाग
स्वारा भवन, कोलार रोड लिंक न0-3
कोलार रेस्ट हाउस के पीछे भोपाल-462016
Email- cebodhimpwrd@gmail.com

पत्र कं. 261 / पी.ई.सी. / 978 / द.ला. / बोधी   भोपाल, दिनांक 01/06/2022

प्रति,

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला उज्जैन की कान्ह नदी डायवर्सन के अन्तर्गत क्लोज डक्ट निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

सन्दर्भ:- मु.अ. उज्जैन का पत्र क0 949 / कार्य / तक / कान्ह डायवर्सन / उज्जैन, दिनांक 19.05.2022

******

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से जिला उज्जैन की कान्ह नदी डायवर्सन के अन्तर्गत क्लोज डक्ट (आर.सी.सी.) निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव परीक्षणार्थ प्राप्त हुआ। परीक्षण उपरान्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लागत रू. 569.84 करोड़ (जी.एस.टी.सहित, यू.एस.आर. 01.09.2017 के आधार पर) की अनुशंसा की जाती है।

सहपत्र:- जनरल एब्सट्रेक्ट

(दीपक सातपुते)
मुख्य अभियंता (बोधी)
जल संसाधन विभाग
भोपाल

पृ0क0 262 / पी.ई.सी. / 978 / द.ला. / बोधी   भोपाल, दिनांक 01/06/2022

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। परियोजना की लागत का निर्धारण आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिलेखों पर आधारित है। निविदा प्रपत्र के fixed parameters में (i) सेल्फ क्लीनिंग वेलॉसिटी (कम्प्लीट-क्लीजिंग प्रोसेस सहित, जैसा कि शासन के समक्ष पॉवर पॉइंट प्रेजेन्टेशन में प्रस्तुत किया गया है) का प्रावधान (ii) ऑटोमेटिक फिल्टर अरेन्जमेंट का प्रावधान (iii) ऑपरेशन एवं मेन्टेनेंस हेतु 15 वर्ष की अवधि का प्रावधान, का उल्लेख करना सुनिश्चित किया जावे। डक्ट / बॉक्स का अलाइन्मेंट पुरानी कान्ह डायवर्सन लाइन को RD 6.82 km एवं 9.63 km पर इन्टरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों सेक्शनों पर साइट कन्डीशन्स के अनुसार डिजाइन की जावे एवं निर्माण के दौरान पुरानी कान्ह डायवर्सन लाइन में अवरोध न होना सुनिश्चित किया जावे। कार्य की निविदा आमंत्रण एवं निर्माण कार्य, वास्तविक सर्वेक्षण पर आधारित, आई.एस. कोड्स, विभागीय तकनीकी परिपत्रों व स्पेसिफिकेशन के आधार पर डिजाइन / ड्राइंग का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही किया जावे। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु डी.पी.आर. की स्वच्छ प्रति प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के माध्यम से शासन को भेजे जाने की कार्यवाही शीघ्र करें एवं एक मूल स्वच्छ हस्ताक्षरित प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु आवश्यक रूप से भेजने का कष्ट करें।
2. संचालक, नहर बोधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:- जनरल एब्सट्रेक्ट

(दीपक सातपुते)
मुख्य अभियंता (बोधी)
जल संसाधन विभाग
भोपाल

"परिशिष्ट-दो"

OFFICE OF CHIEF ENGINEER
WATER RESOURCE DEPARTMENT, UJJAIN (M.P.)

(ce.ujn.wrd@gmail.com)

(Technical Sanction Order)

Order No.2037/W/Kanh close duct /T.S./22 Ujjain, dated.19/12/2022

In exercise of power delegated by Govt. of M.P. Financial department, Book of Financial power 1995 vol.ii vide order No G/17/1/95/C/iv dated 5.10.1995 item No. 21 & Engineering-in-chief, Bhopal Order No. 3484002/p-c/Bhopal dated 30.03.12 The Technical Sanction for Kanh diversion close duct Tehsil Ujjain, Distt. Ujjain is hereby accorded for amounting toRs. 56677.42 lakhs (Rs. Fifty Six Thousand six hundred Seventy Seven lakhs and Fourty Two Thousand only) as per Abstract enclosed on U.C.S.R. of MPWRD inforce form 1.9.2017 and amendments on dated 8.3.21, 9.3.21 As detailed below :-

S. No.	Particulars	Cost (Rs. In Lakhs)
1	"A" Preliminary	4.010
2	C-Masonry	40464.916
3	L-Earth Work	4942.350
4	O&M for 15 years 0.25% per year in C-work	1517.434
5	K- Building	10.000
6	R- Communiction	1093.000
	Total	48031.71
	GST 18%	8645.71
	G-Total	56677.42

(Rs. Fifty Six Thousand six hundred Seventy Seven lakhs and Fourty Two Thousand only)

The Technical Sanction is Subjected to following conditions :-

1- The Expenditure should be debited to head of account 23/4711,
2- In case any addition, alteration or modification is required during execution, prior approval in writing should be obtained from compentent authority.
3- The expenditure should not exceed the limit of technically sanctioned estimated amount.
4- Quantity should not exceed the Quantity and Technical Sanction
5- The work is to be executed as per specification of M.P. W.R.D. and various technical circular issued from time to time.
6- The lead and lift provided in the estimate should not form basis for making payment. The Revised technical sanction is registered at S.E.R.No. / of 2022-23

Encl.- Ganeral Abstract

(Anil Singh)
Chief Engineer
Water Resources Department, Ujjain

Endt. No.2038 /W/Kanh close duct /T.S./22 Ujjain, dated 19/12/2022

Copy is forwarded to :-

1- The Accountant General, MP Bhopal for information
2- Engineer-in- Chief, Water Resources Department,Bhopal for information.
3- The Superintending Engineer, Water Resources Circle, Ujjain for information and necessary action.
4- The Executive Engineer, Water Resources Division, Ujjain for information and necessary action.
5- "G" Section of This Office for information

Encl.- As above

(Anil Singh)
Chief Engineer
Water Resources Department, Ujjain

" परिशिष्ट-तीन "

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
-:: मंत्रालय ::-
वल्लभ भवन भोपाल

व्ही.बी.-III, प्रथम तल, मंत्रालय-462016
☎0755-2708536, 2708538 & 2708541
Email – us.mpwrd.bpl@mp.gov.in ; under.secretary2013@gmail.com & under.secretary@yahoo.in

पत्र क्रं. एफ 22(ए)349-49/MPS/31 / 1923 — भोपाल दिनांक- 16/12/2022

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय :- **कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति।**

-000-

राज्य शासन एतद् द्वारा उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना **राशि ₹598.66 करोड़ (पांच सौ अट्ठानवे दशमलव छाछठ करोड़)** की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. परियोजना पर व्यय मांग संख्या-23 लेखा शीर्ष 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (01) बाढ़ नियंत्रण (103) सिविल निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलित होगा।

3. यह आदेश मंत्रि-परिषद के निर्णय आयटम क्रमांक-33 दिनांक 06 दिसंबर, 2022 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है ।

16/12/22
(विनोद सिंह टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रं. एफ 22(ए)349-49/MPS/31 / 1924 — भोपाल दिनांक- 16/12/2022

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
2. निज सचिव, मान. राज्यमंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
5. मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल ।
6. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन ।
7. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्ड़ल, उज्जैन ।
8. कार्यपालन यंत्री, जल संभाग संभाग, उज्जैन ।
9. वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वैबसाईड पर प्रकाशित करने हेतु ।

16/12/22
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

E:\एमपीएस शाखा\MPS-2022\MPS LETTER-2022 (PART-1).docx//राऊत//